प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

श्री रुमान्डला रामचन्द्रय्याः उपसभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापति करता हूं।

THE RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (FOR CHILDREN OF PEOPLE LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2001

श्री रुमान्डला रामचन्द्रय्या (आन्ध्र प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि सभी शैक्षिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में उन बच्चों के लिए, जिनके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सीटों के आरक्षण तथा उससे संबद्ध एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted. sft ^oHl^c-ll

श्री रुमान्डला रामचन्द्रय्या: उपसभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have the Population Control Bill, 2000 for discussion, जिन्होंने इस विधेयक को मूव किया था, वह तो सदन में इस वक्त उपस्थित नहीं हैं, so, I do not know who will take notes on his behalf, because he has to reply. I have got a lot of names. श्री एस.एस. अहलुवालिया। अहलुवालिया जी, आप बोलेंगे पहले?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैडम, अभी आप किसी और को बुला लें।

उपसभापति: श्री बालकवि बैरागी।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश)ः मैडम, मैं विदड्रॉ करता हूं।

THE POPULATION CONTROL BILL, 2000 *-contd.*

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, I have carefully gone through the Bill. I am really appalled at the obsession of the hon. Member who had introduced this Bill; at the "growing population assuming alarming proportions". I am also amused at his erudition of the economics when he came to the conclusion that slums, shortage of houses and unemployment are due to the growing population. He seems to be underplaying or even unaware of the other important causes like our own failure of planning, either at the conceptual level or

3.00 P.M.

at the implementation level, resulting in wide and gaping disparities, both in wealth and opportunities, in disregard of our own Constitutional directives. Having failed to arrive at a correct diagnosis of this social ailment, his prescription of incentives and disincentives as the remedy for population control is understandable. He suggests all sorts of disincentives for bringing down the population growth. He has disapproved having a third child and suggests all sorts of disincentives if they do so thank God, he has stopped short of denying them the voting right I Have we ever thought that poverty itself can be a cause for the high growth of population? It need not be vice-versa. Of course, there is no difference of opinion on the question of bringing down the rate of growth of population. The hon. Member is well read, well informed and very articulate. But the questions he should ask himself are: Why is there no alarming population growth in the European countries? Why was there actually a negative growth in the erstwhile USSR? Why is the growth rate in the USA marginal? Even that rise is attributed to migration. Why is the growth rate in most sub-Saharan African countries very high? Why is it that, in our own country, in what they call, God's own land, Kerala, the TFR is the lowest and comparable to that of some European countries? Why is it that in our own country, the most God-fearing States, the so-called BIMARU States, the TFR is comparable to that of some of the sub-Saharan African countries? The answer is 'education', the answer is 'women's education', the answer is 'health', the answer is 'woman's empowerment', the answer is 'lack of superstition like preference to male child', and the answer is 'end to the practice of child marriage'. Should we not concentrate more on these, determining factors before asking for incentives and disincentives? Madam, let us look back a little. There was the Cairo Conference in 1994 and that was an international conference on population. We are a signatory to the Cairo Declaration. The' gist of the Declaration was that there should not be targets no-target approach, as they call it--and there should not be incentives, nor should there be disincentives. Look at our own Committees. We had constituted a Committee under the chairmanship of the famous scientist, Dr. M.S. Swaminathan. He had given a very good report in 1994 itself wherein he also said that there should not be a target approach, there should not be incentives and disincentives and the concentration of our efforts should be more on child health, women's health, care of the girl child and other socioeconomic factors. Our own Ministry of Health and Family Welfare had brought out what they called the National Population Policy, 2000 in last

February. Of course, there was a liberal sprinkling of incentives in that policy, but there were no targets, and no disincentives were prescribed. But some of our over-enthusiastic State Governments, with their half-baked expertise, more of a political nature than of a professional one, have come up with schemes, with target approaches and disincentives, both economic and political. And that has attracted a lot of criticism that these measures are not only non-productive but also positively harmful to both women and the poor and also the minorities and their sentiments, therefore, I say that the diagnosis the hon. Member has made is flawed and the prescriptions he has given have got plenty of harmful side-effects and, therefore, deserve rejection. Thank you.

. THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, there are seven speakers from the BJP with 14 minutes' time. आप दो-दो मिनट बोलेंगे। संघ प्रिय जी और रामदास अग्रवाल जी दोनों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये पहले बोलना चाहते हैं। बोल दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल)**:** ये बोलकर चले जाते हैं और हाऊस में नहीं रहते हैं। मैं हमेशा रहता हूं इसलिए मुझे प्राथमिकता दीजिए।

उपसभापति: आप तो बैठे रहते हैं इसलिए आप कभी भी बोल दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: यह क्या है, ये अभी बोलने के लिए आए हैं और बोलकर चले जाएंगे।

उपसभापति: रामदास जी, बोलिए।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान)**:** मुझे मीटिंग में जाना है।...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole problem is, all the Committee meetings are kept after the lunch. Then, Members have to go there. That is why we have the problem of quorum. I think that when we have the Special Mentions time, all the Committee meetings should take place. It will be easier.

SHRI RAMDAS AGARWAL: That is right, Madam.

श्री संघ प्रिय गौतम: हमारी भी बैठक है।...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: धन्यवाद...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: दो मिनट, ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं यह तो...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल: फिर भी मैं दो मिनट आपको दे देता हूं...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: आप पार्टी लाइन पर टाइम ले लेंगे, लेकिन मुझे टाइम नहीं रहेगा तो मेरा हक क्यों मार रहे हैं, आप। इसलिए मुझे पहले समय दीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप अभी इन बातों पर क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए, आपकी ही पार्टी के हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : यह तो प्राइवेट मैम्बर्स का राइट है, ...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): दोनों के बच्चों की संख्या अलग अलग है, मामला जनसंख्या का है।...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवालः हम दोनों का एवरेज बड़ा खराब हो जाएगा और डेढ़-डेढ़ हो जाएगा।

उपसभापतिः एक हैल्थ मिनिस्टर साहब थे और उनके ज्यादा बच्चे थे। उनसे कहां कि आपके तो खुद ही ज्यादा बच्चे हैं तो वे कहने लगे कि इसीलिए तो मैं हैल्थ मिनिस्टर बना हूं, यह बता सकूं कि ज्यादा बच्चे होना कितना नुकसानदेह होता है। रामदास जी, जल्दी बोलिए।

श्री रामदास अग्रवालः उपसभापति जी, राजीव शुक्ल जी ने यह जो निजी विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि राजीव शुक्ल जी जनसंख्या के मामले को लेकर क्यों पीड़ित हुए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है उन्होंने इसे कम या ज्यादा करने में कितना योगदान दिया है। इससे पहले भी एक - दो बार इस सदन में इस पर चर्चा हुई है। उपसभापति जी, पिछले पचास सालों में हमारे देश की जनसंख्या में जो लगातार बढ़ोत्तरी हुई है उसके कारण लगभग सभी उत्पीड़ित हैं। जिन्होंने ज्यादा पैदा की वे भी और जिन्होंने कम पैदा की वे भी। इसका कारण है। कारण यह है कि जिन्होंने जनसंख्या खूब बढ़ाई वे तो बढ़ाकर सड़कों पर गुजारा कर लेते हैं। यह हमारे लिए भी अफसोस की बात है। जब कभी आप या हम सड़क पर जाते हैं, शहरों के अंदर या गांवों के अंदर तो ऐसा लगता है कि जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाला व्यक्ति है वह आज इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाना इस देश के लिए कितना खतरनाक है। यह बात ठीक है कि जो पढ़े-लिखे हैं या प्रभुत्व वर्ग है उसमें निश्चित रूप से जनसंख्या के संबंध में बहुत जागरुकता है। जनसंख्या के बारे में उन्हें ज्ञान है कि जनसंख्या कम रहे, नियंत्रित रहे, सीमित रहे।

[(**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी पीठासीन हुए)**]

परंतु इसकी शिक्षा सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है या फिर केवल शिक्षा देने से ही काम चलेगा, यह हमारे लिए सोचने की बात है। इसी बिंदु पर मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि गौतम जी ने पहले ही कहा है कि ज्यादा समय न लूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल शैक्षणिकता से, लोगों को जानकारी देने से या लोगों को बता देने से हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है और मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस प्रकार से अन्य देशों ने अपनी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून का सहारा लिया है उसी प्रकार से हमारे देश में भी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून का सहारा लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार राजस्थान की सरकार ने, जब भैरो सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे एक नियम लागू किया गया था, कानून बनाया गया था कि जो भी व्यक्ति पंचायत या न्यायपालिका का चुनाव लड़ेगा यदि उस तारीख के बाद उसके तीसरा बच्चा

पैदा हो गया वह डिसक्वालिफाई हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने एक नियम बनाया, कानून बनाया और उसके कारण वहां पर गांवों के एरिया में इसका असर पड़ा। उसके बाद अन्य प्रदेशों ने भी इस प्रकार के नियम कानून बनाए। लेकिन ये कानून इतने सीमित सैक्टर में हैं कि जो चुनाव लड़ता है या जीतता है उसी के लिए लागू होता है। चुनाव लड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती जनसंख्या तो वोट देने वालों की ज्यादा होती है। इसलिए वोटर के ऊपर भी किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए कि अगर वह एक पर्टिकुलर सीमा के बाद बच्चा पैदा करता है तो उसके वोटिंग के अधिकार को कहीं न कहीं सीमित कर दिया जाना चाहिए ताकि इस देश की बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। यदि हमने यह काम नहीं किया तो जिस प्रकार का भार हमारे देश की धरती पर बढ़ता जा रहा है उसे भारत की भूमि स्वीकार नहीं कर पाएगी, उसे झेल नहीं पाएगी और हम किसी ऐसी बड़ी त्रासदी में फंस जाएंगे जो अंत में हमारे लिए एक बड़ा क्राइसस पैदा कर सकता है, संकट पैदा कर सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जनसंख्या को नियंत्रण में करना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सख्त कानून बनाएं। आज आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर इस बात की व्यवस्था में योगदान दें, तभी यह संभव होगा वरना इसमें धर्म, संस्कृति, वर्ग आदि शामिल हो जाएंगे। यदि इसमें राजनीति शामिल हो जाएगी तो उसके बाद जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हो सकेगा। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए संक्षिप्त में मेरे दो सुझाव हैंः

(1) ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जो सभी पर लागू हो चाहे कोई भी हो।

(2) राजनीति में, सरकारी कर्मचारियों में या अन्य वर्गों में जो राज्यों से किसी भी प्रकार का लाभ उठाते हैं यदि उन्होंने कानून के प्रावधानों के अनुसार जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो उनके लिए भी एक ऐसा नियम बनाया जाए ताकि जो लाभ उन्हें मिलता है वह रुक जाए।

इन सारी चाजों के बारे में कानून बन सकता है लेकिन कानून बनने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की समस्या आती है क्योंकि वहां पर फिर राजनीति आती है, दलों के अपने- अपने स्वार्थ आ जाते हैं और वे मतों के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सारा का सारा मामला जैसा अभी तक चला आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। यदि यह ऐसा ही चलता रहेगा तो कानून और यह सारा डिसकशन बेकार होगा। मेरा निवेदन है कि अगर हम इस मामले में वास्तव में गंभीर हैं तो हम लोग, तमाम राजनैतिक दल मिलकर एक ऐसा नियम कानून बनाने का प्रयास करें, जिससे वास्तव में जनसंख्या नियंत्रित हो सके। धन्यवाद।

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to speak on this Bill. Sir, I am going to speak in Telugu. I have already given notice.

† Mr. Vice Chairman, Sir, the population growth has become a curse for our country. Ours is a country with rich heritage and natural resources.

† English translation of the original speech delivered in Telugu.

In spite of being a rich country we are unable to enjoy its richness due to alarming increase in population. This tremendous increase in population affects all benefits of development that take place in the country. It creates unemployment and health problems and paves way for extremism and terrorism too. This increase in population demands more facilities demanding more funds. Proper medical facilities are not available for the urban and rural population. Women are the worst victims of lack of medical facilities.

Population explosion has become a stumbling block in the way of development of the country. The Government is taking a number of steps to contain the population growth. It is trying to create employment opportunities and provide funds from the banks to start Small Scale Industries and also launch developmental and welfare measures, but still it is unable to achieve the target. The growing population is impeding all its efforts. Government has taken up a number of measures. The report submitted by the World Bank in 1993 says that our country is spending less than other developing countries for solving the problem of population explosion. This was the comment made by the World Bank. In spite of that funds are not utilized properly while implementing the policies. This was also mentioned in the report. The Government should make a note of this and try to improve. The increasing population leading to unemployment gives rise to crimes in the country particularly relating to robberies and extortions. It disturbs peace and creates law and order problem in the country. The Government has to take effective steps to contain population growth and introduce more family planning schemes. It should allocate funds and see that the funds are properly and completely utilized. The responsibility lies with the government employees, politicians and each and every citizen of this country.

Let us take villages for example. When we talk to any doctor in a village we hear from him that the women are under lot of pressure. If any family planning measure is to be adopted it is the woman who is forced to undergo that. Somehow the responsibility hovers around woman only.

Our country has a rich heritage. We have so many rivers flowing in our country. But then we are unable to utilize the resources at our disposal to the maximum. Our country stands next to China as far as population is concerned. Every year there is an increase of 17 million population. If we view it in a positive way we are having more of human resource. But we are unable to make use of our natural resources. Huge quantity of water of our rivers flows waste into the sea. We need more water for irrigating

agricultural lands. We need more and more produce. If we can properly make use of our available resources, I think it is not difficult to tackle the problem of growing population.

We should make people self-conscious about the need to have a small family. In our country we give lot of importance to our traditions and culture. It is more in rural areas. So, people living in villages are hesitant to know or implement these family planning measures. Even today we find couples wanting a male child after having four daughters. We also find people who feel sterilization is a sin. The responsibility of removing such superstitions also lies with us. The major reason for this is illiteracy. We have to bring awareness among people by educating them; more so in case of women living in villages who are not aware of the problems of the country.

In order to make people self-conscious about the need to have a small family, we should not depend just on Government agencies on which the policy-making politicians fall back, but involve voluntary organizations. The focus should be more on the people living in remote villages.

Another area of concern is health. In 1983 a report was submitted under National Population Policy. The report says that there are five beds in a hospital for one thousand patients, and one doctor for 30,000 patients. In a few States like Andhra Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh there is one doctor for fifteen to twenty thousand patients. In other States the doctor patients ratio is 1:30,000. This is also an area where improvement is required. We all know that health is wealth. If health is neglected everything is neglected. Having such a large population without proper medical care will adversely affect the progress of the country instead of turning the population into an asset.

When we take education into consideration, even there we find the ratio of schools and teachers not up to the mark. We have to setup more schools. The minimum age for marriage is eighteen for girls but we come across many child marriages taking place in the villages of our country even today. A thirteen-year-old girl being married off, is also a cause of population explosion. For example if we take the State of Kerala, which has eighty per cent literacy rate, we find women getting married between the age 25 to 30 yrs. This is the right age when the women have proper awareness. But in other states where the literacy rate is low, we find people carried away by traditions, superstitions, culture etc. and so a child who is

fifteen year old becomes a mother, which causes many health problems. Even in the National Population Policy we do not find any importance given to women as such. The involvement of women is equally important and so they should be given an opportunity to participate in the formulation and implementation of the policy. They should be encouraged so that more awareness can be brought in.

Sir, my second suggestion is that National Development Policy should be dovetailed to the National Policy. If the welfare programmes are linked to the family planning programmes it will help solve the problem of population to a large extent. If every citizen has to benefit from the facilities provided by the Government, they should be asked to follow the norms. The small family norm should form part of eligibility criteria to the legislators.

Our Hon'ble Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu has made this a condition to contest polls to the local bodies. Those who have more than two children are not eligible to contest the elections. Every one should work towards this. Everyone should think of the development of our country. We should work for a progressive, healthy and rich country; rich in heritage and culture. We should all feel proud to say that it is 'Our Nation'. Only when such a feeling emerges in each and every citizen of our country we can find solution to the problem of population growth.

We should see that the funds allocated serve the purpose by reaching the target. It is not necessary to repeat that the country shall be doomed if population growth is not contained. So, through you, Sir, I request the Hon'ble Minister to brood over and provide effective measures of population control. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, even though the subject that we are discussing is about population control, it is totally connected with the National Population Policy. Sir, at the outset, I want to make my stand very clear that as far as the intention behind the Bill is concerned, I support it. But I totally oppose the remedy prescribed in the Bill. I am not supporting that remedy. Therefore, I have decided to address the intention which is behind this Bill. Sir, the Bill is regarding population control. The intention may be to see that the future generation lives in comforts in terms of its needs. Sir, about population policy, there are three approaches. First is immediate attention; second is medium attention and the third is long-term. Here, I would like to quote from the Annual Report of the Ministry of Health and Family Welfare,

2000-2001. On pages 195-.196, it says, "The immediate objective of the National Population Policy is to address the urgent need of contraception, health infrastructure, health personnel and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child healthcare. The medium term objective is to bring the total fertility rates to replacement level by 2010 A.D. through various implementations of inter-sectoral operational strategies. The long term objective is to achieve population stabilisation by 2045 A.D. by a level consistent with the requirements of sustainable economic growth, social development and environment protection." So, these are the immediate, medium and long term objectives of the National Population Policy.

Sir, this has not sprung up in our mind, all of a sudden. We have to go a long way. In 1978, a conference was held in Alma Ata. In that conference, the declaration 'Health for all by the year 2000' was passed. We accepted that declaration through our National Health Policy of 1983. But, still, we have to go a long way. Even though this declaration was passed in 1978 in Alma Ata, we are proud that we accepted it in the year 1983. When we go through the committee report submitted by Sir Joseph Bhore in 1946, we find that it was envisaged long ago. Thereafter, there were several committees, like the Maduliar Committee, the Kartar Singh Committee, the Ramalingaswamy Committee, etc. There were several committees which had dealt with this subject. The recommendations of those committees were implemented. As a result of that, we find so many primary health centres throughout the country. These primary health centres are serving our people, because it was decided by Sir Joseph Bhore in 1946. Like that, if you go through the reports of various committees, you can find that we were far advanced, compared to other countries. Sir, we have also achieved some positive results. The crude death rate which was 22.8, about five decades ago, has come down to 10.1. The infant mortality rate has come down from .146 per thousand to 79 per thousand. Life expectancy for male has gone up from 37.1 to 62.2. Sir, 50 years ago, female life expectancy was only 36; one year less than that of male life expectancy. But now female life expectancy has surpassed male life expectancy, and it is now 63.4. It clearly shows that there is a lot of addiction in males of our country. That is what I 'feel. Therefore, Sir, when we go through all these, we should see whether we have done it properly or not. There is a suspicion not only in the mind of the common man, but also in the mind of the Prime Minister. The then Prime Minister while addressing the convocation at the All India Institute of Medical Sciences in 1998, said that 'we are far from adequate'.

He, actually, called for reforms in the healthcare system. For that, he advised that there should be advances in the field of medicines, as we have throughout the world, as well as in the infrastructure facilities for healthcare. He said that it should be provided to the common man; it should be accessible and affordable to the common man. That was what was envisaged .by the then Prime Minister in 1998. He had taken some action also in that direction. Whether his taking action was correct or not, I would give you the percentage of expenditure in relation to the GDP, as far as the health sector is concerned. The allocation during 1951-61, it was 3+ percent. During 1964-74, it came down to 2+ percent. From 3+, it came down to 2+ percent. From the Fifth to the Eighth Plan, it went down further to 1+%. It came down from 3+%, during 1951-61, to 2+% during 1961-74. And, by the Eighth Plan, it came down to just 1+%. The allocation had been reduced from Plan to Plan.

Subsequently, from the Ninth Plan, it has gone up from 1% to 2.25%, thanks to the efforts made by the NDA Government. Now it is 2.25%, for the health care. It is a two-step-forward action, not one-step-forward action. I don't want to praise this move immediately. If the targets are achieved, as we have envisaged, only then I would praise it fully. I am merely saying this just to show that the NDA Government is marching in the right direction.

Madam, why are we talking of stabilising the population? It is going to be achieved only in 2045. What is the need for it? It is simply because we have to give good education to our children and extend the basic amenities like sanitation, safe drinking water, and housing. Because of the problem of growing population, we are not able to provide these things. Because we are not able to provide these facilities, the population bomb is exploding. The rise in population and the problems mentioned above are interlinked.

Our country has a land share of only 2.42% of the entire world's land mass. Ten years ago, we reached a population, which was more than 16% of the world's population. Now it is expected to go up to 20%. Therefore, the problems we are confronting in the Indian Sub-continent are different from the problems faced in other continents like Europe or US. Therefore, we must approach this problem in a right way to see that the targets we have fixed in the Ninth Plan are achieved without fail. For this purpose, we have to see to it that the provisions proposed in this Bill are properly dealt with. This Bill should not have been prepared by hon. friend,

Shri Shukla, but by our hon. Home Minister, Shri L.K. Advani. Shri Shukla would not have spoken the way he had, if he been of rriy age. It is only because of his age that he has spoken like that. When he reaches my age, he would understand. That is why I repudiated the remedies he had suggested, like non-allotment of houses, non-providing Government staff, disqualification from contesting elections even for cooperatives, withholding promotions, disqualifying people from applying for jobs. The steps suggested are punitive in nature.

Two days before also I had suggested a thing. If the population is not controlled, it would, automatically, create unemployment. Once there is unemployment, it would lead to unrest in the society. Once there is unrest in the society, it would lead to increased violence. When there is violence, then the basic structure of democracy would be in danger. Sir, as I understand, there is no other better system than democracy. I know that in democracy, there are some inherent weaknesses. Compared to other systems, the weaknesses in a democracy are the least. Other systems have far more weaknesses. Human beings have not found any system which is better than the democratic system. Therefore, whether we will or not, we have to accept this system. If the system is in danger, it means, we must be very careful.

Otherwise, our generations will be spoiled. If unemployment problem continues, then there is no other way because our economy is based on agriculture and allied industries. If we are not able to solve our problem through agriculture, then migration will take place to the cities. Already many people have migrated to Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai. Sir, ten years before, *i.e.* in 1991, the population of Mumbai was 12.6 million, the population of Kolkata was 11.02 million, the population of Delhi was 8.42 million and population of Chennai was 5.42 million. If we take the last 30 years into account, we find that our population has doubled. Every year 8 to 10 lakh people are added to the population of these cities. If you take into consideration the year 1901, we find that female ratio to male was 972 to 1000. But now it has come to 927 to 1000. I feel it is happening because there are equipment to know whether it is a female baby or a male baby. When it is a female baby, the abortion takes place. Even in the matter of family planning they are coming forward because they do not want to be blessed with a girl child. In legal terms this has stopped, but in practical terms it has not been stopped. We have to see how it is to be stopped in reality. Another thing that I would like to submit'to the Health

Minister is that there are no grievance cells in the health centres at the District level. If any untoward incident happens in a hospital, some people attack the hospital itself. At that time, the doctors make a hue and cry. The Health Minister may pardon me for that. *...(Interruptions)...* There is a hue' and cry and violent incidents take place. *...(Interruptions)...* I do not accept violence in any form. We are second to none in condemning the violence. But sometimes people resort to violence to give vent to their grievances. Therefore, I would request the hon. Health Minister to take whatever action is possible for establishing grievance cells at the District levels. Sir, recently in Tamil Nadu one patient was having severe stomach pain. He was operated upon. Three months after he again had stomach pain. Subsequently, he was operated upon again and it was found that a surgical scissor was left in the stomach by the doctor. *...(Interruptions)...* Another operation was performed to take out that scissor. *...(Interruptions)...* It remained in the stomach of the patient for three months. *...(Interruptions)...* This is how in a careless and callous manner sometimes operations are performed. *...(Interruptions)...* Sir, I think our Population Policy should be interlinked with our Health policy. *...(Interruptions)...* By mere allocations we cannot solve this problem. Some involvement should be there. Sir, I find two lacunae in this regard. The first lacuna I find is on the administration side. The second lacuna is on the common man side. There is a gap between the need and availability of medical practitioners starting from nurses to doctors. If you see how many medical practitioners we have for per thousand population and compare it even with the Asian countries, you will find that our number is less.

There is a gap between the need and availability. This is number one.

The second one is: When they get educated and become doctors or nurses, they are reluctant to go to the rural areas. For that, we have to do something. This is not a problem of either one State or the other. This is a problem prevailing throughout the country from the Himalayas to Kanyakumari. Therefore, we have to do something. Some steps have already been taken in this regard. Suppose, if a doctor wants to have his post graduation, there has to be a condition that he must complete a certain period of rural assignment. It should be stipulated like that. Once a person becomes a doctor and if he or she wants to go abroad, then the intellectuals say that there is brain-drain. I do not agree with it. Let them go. But, at the same time, they must have some national feeling. After all,

they are born, brought up and became doctors on this soil. So, they have to serve here for some years. And, after having served the people and the country in which they are born-, they can go abroad. That kind of involvement has to be there. This you cannot make by prescribing any conditions or enacting any law. This has to be imbibed and inculcated in the mind itself. Because, education, in India, is unfortunately, helping one to enrich one's knowledge only. But my concept is different. Education means not only enriching one's knowledge, but develop one's character also. These two put together is called education. So, unless this is inculcated, unless proper steps are taken, this problem is not going to be solved. May be, instead of Mr. Shukla, some other Member would bring the same Bill again, after a decade, and some other Member, instead of Viduthalai Virumbi, would address the same issues. Thus, it will become a continuous chain. Instead, there should be a full stop and that full stop should enhance the status of the common man in India.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्रीमती सरोज दूबे (बिहार)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री राजीव शुक्ल जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक ज्वलंत समस्या की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। महोदय, पिछले सत्र में भी इस पर काफी बहस चली थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका जवाब दिया था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई प्रगति हुई होगी।

महोदय, भारत की आबादी मई, 2000 में एक अरब की हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक इस मिलेनियम की शुरुआत ही एक अरब से हो गई। वास्तविकता यह है कि देश में प्रति मिनट 50 और प्रतिदिन 72000 बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से हमारी स्थिति वही हो गई जो 1962 में चीन की थी। महोदय, चीन की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उन्होंने जन्म दर को थाम लिया है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। हमारी जनसंख्या, विश्व जनसंख्या की 16 फीसदी है। जाहिर है कि अगर हम इसी दर से बढ़ते रहे तो आने वाले दो दशकों में हम अन्न और जल के लिए मोहताज हो जाएंगे।

महोदय, जीवन का सर्वथा स्वागत किया जाता है। इस देश की जनसंख्या को एक अरब की संख्या की पूर्णता प्रदान करते हुए बेबी आस्था ने भारत भूमि पर जन्म लिया और साथ ही साथ यह चेतावनी भी दे दी कि हम एक अरब हो गए हैं और इसके साथ ही आसन्न खतरे से आगाह करते हुए हमें यह बताया कि अगर हम अब भी न चेते तो संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के सभी प्रयास बुरी तरह विफल हो जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण ही हमारे विकास की योजनाएं बौनी साबित हो रही हैं और समस्त व्यवस्थाएं अक्षम और सुविधाएं अपर्याप्त दिख रही हैं। हमारे संसाधनों पर बड़ा दबाव है और उनके चुकने का खतरा मंडराने लगा है।

महोदय, हमारे यहां लगभग 19 प्रतिशत परिवार 10 वर्ग मीटर से कम जगह में गुजारा कर रहे हैं। शहरी इलाकों में करीब 44 प्रतिशत लोग 10x10फीट के कमरे में गुजारा कर रहे

हैं। उन्हें सफाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है जो न्यूनतम मानी जाती हैं। महोदय, 24 प्रतिशत से कम लोगों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा प्राप्त है। वे बदबूदार नालियों, मच्छरों और कीड़ों के बीच में रहकर बच्चे पैदा करने के लिए विवश हैं। इन सब दुखों का कारण गरीबी, अशिक्षा और बढ़ती हुई आबादी है। इन तीनों के बीच में एक अटूट रिश्ता है। अगर हमने इनमें से एक का इलाज किया और बाकी दो का इलाज नहीं किया तो हम इस समस्या पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए इन तीनों चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि परिवार नियोजन का और जनसंख्या नियंत्रण करने का काम करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। लेकिन आधी सदी पुराना परिवार नियोजन कार्यक्रम अभी भी जन आन्दोलन का रूप नहीं ले पाया है और यह अभी भी सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया है। "प्रथम ग्रासे, मक्षिका पाते" की तर्ज पर 1951 से और 1956 से ही जनसंख्या के नियंत्रण पर विवाद शुरू हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी अनियोजित चाल अभी भी जारी है और इसका कोई अच्छा परिणाम हमारे सामने नही आ रहा है । जनसंख्या पर नियंत्रण केवल गर्भ निरोधक गोली बांटने से नही होगा, इसको हमें मां और बच्चे के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखना पड़ेगा। अशिक्षा और गरीबी के कारण ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। गरीब लोगों को अपने बच्चों की जान का खतरा लगा रहता है और उन्हें बच्चों की जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। गरीबों का यह भी मानना है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही हाथ होंगे, उतना ही ज्यादा काम होगा, उतना ही ज्यादा पैसा आयेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अशिक्षा, गरीबी और बढ़ती हुई आबादी का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में भी हम इस बात के लिए भयभीत रहते हैं। गरीब साधनहीन लोगों का मानना है कि परिवार बड़ा होना चाहिए। भगवान न करे दो बच्चों को कुछ हो जाय तो तीसरा बच्चा जिंदा रहे। तीसरे बच्चे की जो मानसिकता है और सोच है उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। असुरक्षा की धारणा और गरीबी के कारण ही ये जो बीमारू राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यहां पर अशिक्षा है, गरीबी है और बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें नहीं हैं, इसी कारण यहां पर जनसंख्या ज्यादा है और ये बीमार राज्य कहला रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि में 55 परसेंट योगदान तो इन्हीं राज्यों का है। दक्षिणी राज्यों में कर्णाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश आदि में इसीलिए आबादी की दर नियंत्रित है क्योंकि वहां पर शिक्षा की दर ज्यादा है। वहां पर महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं और उनके बीच में गरीबी कम है, इसीलिए वहां पर आबादी की दर कम है। बीमारू राज्यों में शिक्षा की कमी है, यह मैंने पहले ही बता दिया है। अब सवाल यह है कि जनसंख्या की रफ्तार धीमी करने का सवाल नहीं है बल्कि अब यह सवाल हमारे सामने है कि इसको रोका कैसे जाए।

महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तमाम माननीय संसद सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए और चिंता व्यक्त की, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को लेकर महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इस दर्द को किसी ने भी बयान नहीं किया। आधुनिकता, शिक्षा तथा समानता का दावा करने वाले समाज में बीसवीं सदी में भी यह हाल है कि देश में परिवार नियोजन के तहत होने वाले आपरेशन में केवल तीन प्रतिशत पुरुष होते हैं बाकी 97 परसेंट महिलायें होती हैं। ये महिलायें चाहे पढ़ी लिखी हों या अशिक्षित हों, गरीब हों, बीमार हों, ऐनिमिक हों, लेकिन आपरेशन उसी का होना होता है। पुरुष केन्द्रित कार्यक्रम 1994 में प्रारम्भ किया गया था, बड़े-बड़े सेमीनार हुए लेकिन इसका कोई नतीजा नही निकला । जो गर्भ निरोधक उपाय है, उन्हें भी 85 परसेंट महिलायें ही इस्तेमाल करती हैं, पुरुषों ने इसमें जरा भी हाथ बंटानें का काम नहीं किया है। यह बड़े दुख की बात है। हर अच्छी

बात जो होगी है वह तो पुरुष के हिस्से में चली जाती है और जब तकलीफ, पीड़ा झेलने की बात आती है महिलाओं के हिस्से में डाली जाती है। पुरुष हैप्पी फैमली चाहता है, लेकिन आपरेशन महिलाओं को ही कराना पड़ता है, जबकि पुरुष के साथ नसबंदी कार्यक्रम ज्यादा कारगर है। उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। महिलाओं की नसबंदी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, वहां पर शिविर लगाकर उनके आपरेशन कर दिए जाते हैं, उनके स्टिचिज पक जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम आपरेशन करवा लो, तुमको पुरस्कार देंगे और जब वह आपरेशन करा लेती हैं तो उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता है। उन महिलाओं को बोझा ढोना पड़ता है, उन महिलाओं को खेत में काम करना पड़ता है, उनके पेट में से पस निकलता रहता है जोकि उनको बराबर पीड़ा देता रहता है। ..(**समय की घंटी**)..महोदय, मैं जल्दी समाप्त करती हूं। तब भी "सुखी परिवार" की जिम्मेदारी महिलाओं को ही दे दी गई है। काहिरा में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जनसंख्या और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत सहित 180 देशों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम पुरुष केन्द्रित होना चाहिए। लेकिन पुरुष ने जनसंख्या नियंत्रण में कोई भी भूमिका अदा नहीं की और परिवार नियोजन का पूरा बोझा महिलाओं के कंधे पर है। इसीलिए इसके परिणाम भी बहुत भयंकर हैं। महोदय, इंडियन काउंसिल आफ मैडिकल रिसर्च का दावा है कि हर साल लाखों की संख्या में महिलाओं को गर्भपात कराना पड़ता है और यह जो गर्भपात की प्रक्रिया होती है, 75 प्रतिशत मामलों में वह असुरक्षित माहौल में होती है और केवल 25, से 30 प्रतिशत केसिज़ में ही यह प्रक्रिया सुरक्षित माहौल में होती है। नतीजा यह होता है कि एक हजार में से लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं असमय मौत की शिकार हो जाती हैं। महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं को गर्भधारण करना भी उनकी अपनी मर्जी से नहीं होता है, उसके लिए भी उनको अपने सास, ससुर और पति की मर्जी पर निर्भर करना पड़ता है और उन्हें तब तक गर्भ धारण करते रहना पड़ता है जब तक उनके यहां बेटा पैदा नहीं हो जाता। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे एक परिचित एक बार मेरे यहां आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्यों, तो वह कहने लगे कि मेरे यहां दस लड़कियां है । एक लड़का पैदा हुआ लेकिन वह मर गया । यह सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा लेकिन उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, भगवान की कृपा होगी और बेटा पैदा हो जाएगा। महोदय, इस तरह की भावनाएं इस देश में पढ़े-लिखे लोगों की हैं, जिन लोगों ने टैक्नीकल ऐजुकेशन प्राप्त की हुई है, उनकी अगर इस तरह की सोच होगी तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इस देश में साढ़े तीन सौ करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भधारण के बाद भी बच्चा नहीं चाहती हैं लेकिन उन पर बच्चा थोप दिया जाता है।...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगी। हमारे यहां राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 घोषित कर दी गयी लेकिन यह केवल कागजी साबित हो रही है और कुछ लुंज-पूंज सी प्रतीत होती है। इसमें बढ़ती आबादी को रोकने के लिए निर्धनता और निर्धन लोगों पर ध्यान दिया गया है लेकिन नीति निर्धारक शायद यह भूल गये कि इस देश की चालीस करोड़ जनता गांवों में रहती है जो सेवा से भी वंचित है और सूचना के कामों से भी वंचित है इसलिए उनसे यह उम्मीद करना कि वे कानूनी उम्र में शादी करेंगी या दो बच्चों के नार्म्स का पालन करेंगी अथवा जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भनिरोधक उपाय इस्तेमाल करेंगी, हास्यास्पद है। इसमें बालिका के लिए आपने पांच सौ रुपये का इनाम रखा है लेकिन पांच सौ रुपये के लिए कोई भी लड़की को पालने के लिए तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि आज लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। महोदय, मैं इस बात को अवश्य

कहना चाहूंगी कि जन्म-दर को 3.07 से घटाकर 2 फीसदी करने का जो आपका लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए भी महिलाओं को ही शिकार बनना होगा और उन्हें ही यह बोझ अपने ऊपर लेना होगा। यह जो खतरनाक गर्भनिरोधक समाज में आ गये हैं जो विकसित देशों के ठुकराए हुए, उनके रिजैक्ट किये हुए निरोधक हैं, इन्हें इस देश में इस्तेमाल के लिए भेज दिया गया है और हमारे यहां पर महिलाओं को उनका इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है। एक नैट-एन नामक इंजैक्शन है जो बेहद खतरनाक इंजैक्शन है। तमाम देशों से इसे ठुकराया गया है। इसके खिलाफ एन.जी.ओज़. ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बहुत आंदोलन हुए लेकिन बावजूद भी इसको स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवाओं में शामिल कर दिया गया। इस इंजैक्शन से कैंसर, हारमोन्स में इम्बैलेंस, ब्लड प्रैशर और अन्य कई तरह की बीमारियां महिलाओं को हो रही हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसे महिलाओं पर प्रयोग में लाया जा रहा है। महोदय, विदेशी कम्पनियां तो भारत को केवल एक बाजार के रूप में देखती हैं। नैट-एन के लिए आई.सी.एम.आर ने भी स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसे महिलाओं पर प्रयोग में लाया जा रहा है। महोदय, विदेशी कम्पनियां तो भारत को केवल एक केवल एक बाजार के रुप में देखती हैं। नैट-एन के लिए आई.सी.एम.आर. ने भी स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि महिलाएं कोई प्रयोगशाला नहीं हैं जिन पर आप बाहर से खतरनाक निरोधक लाकर इस्तेमाल करें और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों-करोड़ों महिलाओं की बलि चढ़ाते जाएं। यह सही बात नहीं है इसलिए इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नॉरप्लांट नामक एक गर्भनिरोधक है जो बाजू में लगता है। महोदय, गांवों में गरीब महिलाएं हैं, माइग्रेट करने वाली महिलाएं होती हैं, इसे जबर्दस्ती उनकी बाजू में आपरेशन कर तीली को लगा दिया जाता है। इस इंजैक्शन को लगाने के लिए यह नियम है कि उसकी देखभाल होनी चाहिए, उसकी जांच होती रहनी चाहिए और पांच साल के बाद इसको निकाल दिया जाता है किन्तु हमारे यहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण इसको लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। नतीजा यह होता है कि उसका दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है और महिलाएं भयंकर बीमारियों की शिकार होकर असमय मर जाती हैं। महोदय, महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान केवल डेढ़ सौ रुपये का आयरन खाना होता है लेकिन वह भी उनको नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि वह गर्भावस्था के दौरान ऐनीमिक हो जाती हैं और प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक आंगनवाड़ी योजना है जिसके तहत इन लोगों को एक किट दी जाती है जिसमें एक छोटी-सी सुई, थोड़ी सी रुई, डिटोल तथा एक रेजर होता है। दो रुपए में वह सामान आता है, उसकी सरकारी कीमत 13-14 रुपए रखी गई है और सरेआम बाजार में बेचा जाता है। अपनी जान पहचान वालों को दे दिया जाता है और गरीबों के बीच में वह किट कभी नहीं आती है। गरीब महिला को आज भी पत्थर तोड़ते हुए, बोझा ढोते हुए और कूड़ा उठाते हुए जब प्रसव वेदना होती है तो वह किसी पेड़ के पीछे जाकर, ईंट-पत्थर और कूड़े के बीच डाक्टर की मदद के बिना बच्चे को जन्म देती है। उसके पास जो खुरपी पड़ी होती है उसी से बच्चे की नाल काट देती है, थोड़ी देर आराम करती है और फिर काम पर चली जाती है। यदि वह काम नहीं करेगी तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है महिलाओं को ही जनसंख्या नियंत्रण का उत्तरदायित्व न सौंपे, इसमें सब लोग बराबर आएं। इसमें पुरुषों को भी कारगर भूमिका अदा करनी चाहिए। आपने एक एक्ट बनाया था प्रसव पूर्ण नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994, उसमें संयुक्त समिति के हम भी मैम्बर थे। आज इस कानून का मजाक बनाते हुए कलीनिकों में खुले आम अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है और लिंग परीक्षण हो रहे हैं, सैक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। जब पता लगता है कि लड़की है तो उसका एबार्शन करा दिया जाता है। खुले आम मुंह मांगी रकम लेकर ये लोग

काला धंधा कर रहे हैं। इसके लिए जो एडवाजरी कमेटी बनाई जाती है उसमें वहीं लोग शामिल होते हैं जिनके इस तरह के क्लीनिक चल रहे होते हैं या जो इस तरह का धंधा कर रहे होते हैं। चंडीगढ़ और हरियाणा में यह खुले आम है, इस पर कोई रोकटोक नहीं है। आप जाकर पैसा दीजिए, फीस जमा कराइए आपको तुरंत पता लग जाएगा। मैंने उन लोगों को भी देखा है, जैसे ही सास या पति को पता लगता है कि गर्भवती महिला के गर्भ में कन्या का भ्रूण है, उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। अगर उसको एबार्शन कराने का टाइम नहीं होता है तो उसका खाना पीना बन्द कर दिया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह जो कानून है इसको सख्ती से लागू करिए। इसके बारे में सिख समुदाय के पंथियों और हिन्दू धर्म के लोगों ने भी चिंता व्यक्त की है लेकिन नतीजा जीरो है। लड़कियों को मारने का जो तरीका है, हम लोग साऊथ गए तो वहां देखा कि उनको अफीम चटाई जाती है, मुंह पर तकिया रखकर दबाकर मार देते हैं और ढेर सारा नमक पिला देते हैं। आज लड़कियों को मारने के लिए इतने ज्यादा तरीके इजाद कर लिए हैं क्योंकि उनके लिए दहेज चाहिए और बेटी वालों ने लड़के वालों के सामने सिर झुकाना पड़ता है। आज विज्ञान ने तरक्की की है, खुशी की बात है लेकिन तलवार हमारी ही गर्दन पर गिर गई। पहले तो हम दुनिया में आकर मारे जाते थे अब तो दुनिया में हमें आने ही नहीं दिया जाता है और गर्भ में ही मार दिया जाता है। जब हम तमिलनाडु में गए तो बालिका भ्रूण पर बड़ा ही दयनीय उन्होंने गीत गाया। हम तो मतलब समझते नहीं थे, बाद में उन्होंने हमें बताया कि अजन्मी बेटी का गीत है। ससुराल जाने से पहले उसे शमशान क्यों भेज दिया, गर्भनाल काटने से पहले गला क्यों घोंट दिया। आज इस तरह की बातें हमारे देश में बेटियों के साथ हो रही है जबकि बड़े-बड़े कानून बने हुए हैं। दहेज के लिए रोज लड़कियां जला दी जा रही हैं, फांसी पर लटका दी जा रही हैं, कहां जा रहा है कानून, क्यों इस तरह का महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल महिला और लड़की के साथ अत्याचार न हो। आपकी जो नई राष्ट्रीय नीति आई है, इसमें 97 परसेंट पुरुषों को पकड़ा जाना चाहिए, महिलाओं को इसमें छूट मिलनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को बाहरी काम भी करना पड़ता है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो गर्भ निरोधक है, जिनको इसकी जरूरत है उनके बीच में तो प्रचार नहीं हो रहा है लेकिन आप मीडिया को देखें तमाम अश्लीलताओं की सीमा को पार करते हुए ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जो तमाम मैग्जीनों से भरे पड़े हैं, जिनको देखते नहीं बनता है। कम से कम उन पर तो रोक लगा दीजिए। छोटे-छोटे बच्चे मैग्जीन पढ़ते हैं, वे इनका इस्तेमाल थोड़े ही सीखना चाहते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको बरकरार रहने दिया जाए और इन विज्ञापनों पर रोक लगवाएं, फर्जी गोलियां बाजार में खुलेआम बिक रही हैं। आज अखबार में आया है कि साऊथ में हैदराबाद में नीम के पत्ते से कोई गर्भ निरोध तैयार होता है, इस पर ध्यान दीजिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ क्यों देखते हैं। हमारे देश में तमाम साधन हैं, जड़ी-बूटियां हैं, उनकी ओर ध्यान दें और उनसे अच्छे-अच्छे गर्भ निरोधक बनाएं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। महिलाओं को तंग न करें। मैं एक बार फिर कहती हूं कि आप महिलाओं को शिकार न बनाएं। महिलाओं पर पहले ही बहुत अत्याचार हुए हैं, ये पहले ही बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं इसलिए इनकी ओर ध्यान दें। आपने जो जनसंख्या नियंत्रण करने का जम्बो जैट आयोग बना दिया है, इसकी शायद ही कभी सफलतापूर्वक मीटिंग हुई हो। इन सब को देखें ओर जनसंख्या नीति पर पुनःविचार करके महिलाओं को इससे मुक्त रखिए, और इनको बराबर का भागीदार रखिए। पुरुष को सजा दीजिए। अगर यह मांग है कि चुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए तो मैं पूछना चाहती हूं कि कितने लोगों ने स्पीकर महोदय को लिखकर दिया है कि हमारे दस बच्चे हैं

4.00 P.M.

या दो बच्चे हैं? एसेस्ट्स के बारे में लिखकर दे दिया लेकिन बच्चों के बारे में किसी ने लिखकर नहीं दिया। सभी को यह सूचना देनी चाहिए कि जिनके दोसे ज्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बातें हैं। जब हम कोई कठोर कदम उठाएंगे तभी यह देश आगे बढ़ पाएगा वरना हम जनसंख्या के बोझ तले दब जाएंगे। हमारे अंदर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। एक बार इमरजेंसी में देश में प्रयास हुआ था। उसके बाद कांग्रेस चुनाव क्या हार गई कि देश हित को ही भूल गए। लोग बस आंसू पोंछने का काम कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, सख्ती के साथ अमल करें ताकि जनसंख्या के बोझ से हम मुक्त हो सकें, यह स्थिर हो सके, देश खुशहाल हो सके, इस देश की महिलाएं, बालिकाएं खुशहाल हो सकें। जब बालिकाएं पैदा हों तो फूटी थाली न पीटें, घंटे बजे, शंख बजें, शहनाइयां बजें। बेटियों की बहुत उपेक्षाएं हो चुकी, बहुत अन्याय हो चुका। उपसभापति जी, मैंने बहुत समय ले लिया इसके लिए धन्यवाद देती हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, संपूर्ण भारतवर्ष और यहां के प्रत्येक नागरिक के चहुमुखी विकास हित कल्याण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए। शासकीय आधार पर जनसंख्या की गणना 1901 में प्रारंभ हुई थी और आज 2001 है। सौ वर्ष हो गए हैं और हर दस वर्ष में जनगणना होती है। 1901 में देश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ थी। आज बंटवारा होने के बाद भी देश की जनसंख्या 102 करोड़ है जो लगभग साढ़े चार गुना है। 1911, 1921 तक जनसंख्या स्थिर रही लेकिन 1931 में एकदम 11 परसेंट बढ़ गई। देश के लोगों को इसकी चिंता हुई। मिस्टर पी.के.वॉटल ने 1931 में फर्टिलिटी इंक्वारी की और उसमे उन्होंने जनसंख्या बढ़ने के कारण और उसके कुप्रभाव पर अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद हमारे देश के सारे महान नेताओं को इसकी चिंता हुई। पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री रवींद्र नाथ टैगोर, श्रीमती सरोजिनी नायडु ने भी जनसंख्या के कोई निरोधक उपाय हों, इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्री नेताजी सुभाषचंद्र बोस, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, ने भी उस समय अपने भाषण में चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि "If the population goes up by leaps and bounds, as it has done in the recent past, our plans are likely to fall through." यही नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि "I must not conceal from the reader, the sorrow I feel, when I hear of birth in India." मान्यवर, यही नहीं दुनिया की दूसरी लड़ाई में जब हिटलर साहब की हार हो गई तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी। एडोल्फ हिटलर ने लिखा कि "Through the mad multiplication of the German people before the War, the question of providing the necessary daily bread came in, in an ever 'sharper manner, into the foreground of all political and economic thoughts and actions." He further said: "Only an adequate amount of room upon this Earth secures to a nation the freedom of its existence."

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): गौतम जी, आपकी पार्टी के केवल चौदह मिनट थे।

श्री संघ प्रिय गौतम: इसमें पार्टी का टाइम नहीं रहता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)ः नहीं- नहीं रहता है।

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं रहता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)ः मेरी बात सुनिए, आप रूल मत बताइए। जहां तक प्रायवेट मेम्बर बिल का संबंध है वह सरकुलर के हिसाब से दो घंटे रहता है। हम उसका अक्षरशः पालन, सख्ती से नहीं करते हैं और उसके हिसाब से जो स्पीकर्स आते हैं, पार्टी के हिसाब से तय करते हैं। यह चार्ट मैंने नहीं बनाया है, सेक्रेट्रेरियट बनाकर देता है। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप रिलेवेंट प्वाइंट बोलें। अगर आप 8-8 लाइनें किसी को कोट करते हुए, जर्मन के हिटलर को कोट करते हुए बोलेंगे तो उस प्वाइंट पर नहीं आएंगे जिसके ऊपर चिंता हो रही है....(**व्यावधान**)... मैं तो केवल समय की सीमा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके ऊपर चाहे जो आप बोलने चाहें बोलें।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपका बड़ा आभारी हूं। लेकिन मैं आपको इसलिए बताना यह चाहता हूं कि इसमें चिंता 1930, 1935, 1940 से है। लेकिन – "साहिल कि तमाशाई, हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते"। लोगों को चिंता नहीं है कि इस देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो। कौन एजुकेट करता है? हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, डाक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जन-प्रतिनिधि हैं, हम स्वयं नियंत्रण करें। हम अपने रिश्तेदारों को नियंत्रण करवाएं, अपने परिवारों को नियंत्रण करवाएं, अपने मुहल्ले वाले और अपने रिश्तेदारों को नियंत्रण करवाएं, अपने परिवारों को नियंत्रण करवाएं, अपने मुहल्ले वाले और अपने रिश्तेदारों को नियंत्रण करवाएं। सामाजिक सुधारक इस काम में लग जाएं। लेकिन क्या कोई यह कर रहा है? जब यह कोई नहीं कर रहा है तो – "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। कौन करेगा? तो मैं उनकी भी कह रहा हूं कि हिटलर ने भी चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद मान्यवर यह जनसंख्या बराबर बढ़ती चली गयी। लेकिन यह खुशी की बात है कि 1991 तक 23-24 प्रतिशत बढ़ी और इस बार 2001 में 21 प्रतिशत बढ़ी है। कुछ कमी आई है। इसलिए हम थोड़े से सुधार की ओर जा रहे हैं। इस जनसंख्या बढ़ने से...(**व्यवधान**)... चूंकि अब आपने बीच में ऐसी बात कह दी है मैं आपको तो चुनौती नहीं दे सकता हूं। रूल्स के बारे में आपका ज्ञान बहुत है। लेकिन मैं यह देखता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट गो – प्रायवेट मेम्बर बिल में जो पहले नाम दे दे उसको बोलना है। 15 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। यह था। बाकी पार्टी का तो इसमें नहीं था। अब यह कब से एलाट हुआ है, कौन से रूल में है, मुझे इसकी तकलीफ हो रही है कि मैं चाहता था कि कुछ थोड़ी सी गंभीरता इसमें आ जाए। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता था। 1931 के बाद, 1951 तक जनसंख्या समान अनुपात में बढ़ी। यह पढ़ाई लिखाई का दौर था। बहुत लोग उस समय भी पढ़े लिखे थे लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली गयी। अभी सरोज दुबे बेटी और अन्य चीजों के बारे में कह रही थीं। मुझे क्षमा करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति थे और पंडित नेहरू को उनके बाद में मैं दूसरे नम्बर पर गिन सकता हूं। महात्मा गांधी जी के बहुत पुत्र आ गए। लेकिन बहुत से लोग उनको नहीं जानते हैं और पंडित नेहरू की एक ही बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। पूरी दुनिया उनको जानती है। "चरम एकोः गुणी पुत्रः मूर्खः न शता न्यपि। एकोः चंदा तमा हन्ति न च तारागणा अपि"। लायक बेटा या बेटी एक हो, क्या हम यह उदाहरण पब्लिक में देते हैं? यानी हम उन लोगों को बताएं। इंदिरा गांधी का कमाल दुनिया में जब तक रहेगी तब तक लोग याद करेंगे। यह समझाते नहीं हैं। अब यहां पर जब यह फेमिली प्लानिंग शुरू हुई तो एक तरफ यह लिखा था, मैंने पढ़ा कि – "पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं"। उसके

बराबर में लिखा दिया – "पहला बच्चा अभी-अभी, आज के बाद कभी-कभी"। क्या यह प्रचार जनसंख्या का नियंत्रण करा देगा? आप सुनिए जरा...(**व्यवधान**)...

आपके शास्त्रों में लिख दिया गया कि अमुक तिथि को सम्भोग करने पर लड़का ही पैदा होगा। बहुत से लोग उसी दिन करते हैं। बच्चे वैसे ही पैदा हो जाते हैं। अभी हमारे यहां ध्यानी जी बैठे हुए हैं। उत्तरांचल में मैंने पढ़ा कि एक कमलेश्वर नाथ जी का कोई मन्दिर था, वहां रात भर दीपक लेकर खड़े रहते हैं औलाद की फिक्र में। बच्चों की, औलाद की फिक्र में दूसरों की बलि चढ़ाते हैं। कोई इन बातों को रोक नहीं रहा है। जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण होगा? यहां भाषण तो भावनात्मक कर देते हैं लेकिन जो वास्तविकता है उस तरफ हमारा ध्यान कम है कि जनसंख्या रुक सके। जनसंख्या तो रुकनी ही चाहिए लेकिन इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं है। इसके कितने कुप्रभाव होते हैं। गरीब, बेरोजगार, बीमार और जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वे हैंडीकैप्ड होते हैं। मां बीमारी में मर जाती है, बच्चे बीमार रहते हैं, समाज पर बोझ बनते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, हर तरह के विकास रुकते हैं, इसलिए कितने ही उपाय कर लो रोटी आप एक से दो, तीन, चार बढ़ाते जाओ, जनसंख्या दस गुनी बढ़ती चली जाए तो लोगों का पेट भरने वाला नहीं है, कितनी रोटी बनाओगे? एक बार हमारे नेता ने कहा कि यह जमीन रबड़ नहीं है जिसको कि हम बढ़ा देंगे और यह वास्तविकता है। जनसंख्या के कारण चरागाह खत्म हो गए, जनसंख्या के कारण जंगलात खत्म हो गए, और जो यह प्रदूषण है उसके लिए भी जंगलात जरूरी हैं और पशुधन के लिए चराहगाह जरूरी हैं। हमारा देश पशुधन में दुनिया में सब से बड़ा देश था। आज पशुधन नहीं है तो गोबर गैस नहीं है, गोबर गैस नहीं है, बायोगैस नहीं है, खाद नहीं है। आज जो ये तमाम सब्जियां और खाद्यान्न उग रहे हैं इनमें भी बीमारियां पैदा हो रही हैं और दूध- घी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है जो कि बहुत आवश्यक है। मैं आपके आदेश का अनुपालन करते चार सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव तो यह है कि एक कानून बनना चाहिए। चाईना में भी कानून है। मगर यहां कानून बनाने से डरते हैं क्योंकि यहां पर सब को वोटों की चिंता है। कोई कहता है कि अगर इसे अल्लाह ने भेजा है तो रिज़क भी वहीं देगा। कोई कहता है कि उधर बढ़ जायेंगे तो हमारे वोट कम हो जायेंगे। यह मानसिकता कभी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होने देगी। यह मानसिकता भी बदली जानी चाहिए और साधू, संत, सन्यासी , मुल्लाह, मौलवी, पंडित, पादरी, ग्रंथी जितने भी ये लोग हैं इनकी शिक्षा यही होनी चाहिए कि दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे अलग रहो और इसके अलावा जनसंख्या पर नियंत्रण भी करो। एक तो यह कानून बनना चाहिए। मेरे दो तीन और सुझाव हैं जिन्हें एक आध मिनट में समाप्त कर दूंगा।

दूसरा सुझाव समाज सुधार के बारे में हैं। मुझे मालूम है जब लोग मांस-मदिरा का कम इस्तेमाल करते थे तब आर्य समाज प्रचारक और कबीर पंथी ढोल, मजीरा और बाजा लेकर गांव-गांव में घूमा करते थे। जब ये चीजें सब बढ़ गईं तो जैसे साइंस की एक टर्म है हाइबरनेशन यानी ये हाइबरनेशन में चले गए और हिन्दुस्तान में अब कोई समाज सुधारक नहीं है, न कबीर पंथी रहे और न आर्य समाजी रहे। बाकी साधू, संत, संन्यासी जो हैं ये अब अपने एअर कंडीशंड कमरों में डनलप पिल्लो गद्दों पर सोने लगे हैं और समाज की कोई चिंता नहीं करना चाहते।...(**व्यवधान**)...

उपसभापध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा सुझाव एजुकेशन के बारे में है। कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और कल यहां पर एक बात आई, आप बताइये कि यहां कितने लोग हैं जो

इसके समर्थक हैं कि इस देश में फ्री कंपलसरी एजुकेशन हर नागरिक के लिए कर दी जाए? अगर यह हम कर दें तो फिर असमानता का भेद मिट जाएगा। एक से स्कूल होंगे, एक सी ड्रैस होगी, एक सा करीकुलम व सिलेबस होगा और सब के बच्चे पढ़ेंगे। इससे समानता आएगी, इक्वैलिटी आएगी, भेदभाव मिटेगा, आरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहेगी और वहां पर ये सब चीजें पढ़ाई जाएं।

आखिरी मेरा सुझाव है कि जैसे पहले कालेज व स्कूलों में स्टूडेंट पार्लियामेंट होती थी और सुबह धार्मिक शिक्षा का अध्यापक 15 मिनट भाषण करता था। आज पब्लिक स्कूल्स खुल जाने के बाद यह सारी शिक्षा ही खत्म हो गई है। अब न तो कैंपफायर होती है, न डिबेट होती है, न स्टूडेंट पार्लियामेंट होती है और न धार्मिक शिक्षा की ही कोई नीति है। ऐसे लोगों को कोई प्रशिक्षित करता ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि इस बारे में क्या कानून बनाया जा सकता है? उपसभापध्यक्ष जी, मैं अध्यापक रहा हूं। मैं ने यह काम किया है। वर्ष 1971 में हमारे यहां कलेक्टर ने वैसेक्टोमी का सेकंड जार्जेस्ट कैंप लगवाया। मैं उस समय विरोधी पार्टी में था। कांग्रेस की सरकार थी और मैं रिपब्लिकन पार्टी में था। मैं भी उस कैंप में गया और अपने आप को आफर किया। उस समय टी.वी. तो नहीं था, रेडियों वाले मेरे पास आए और बोले कि तुम तो विरोधी पार्टी के हो और यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तुम क्यों नसबंदी करवा रहे हो। मैंने कहा कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। यह तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उस समय मैंने वैसेक्टोमी के चार केस बनवाए। मेरे दो बच्चे थे, एक खत्म हो गया और अब एक ही बच्चा है। मेरे लड़के के दो बच्चे हैं, उसने भी नसबंदी करा ली है। यह सब में लिखा हुआ है। उपसभाध्यक्ष जी मैं तो अमल करता हूं और खुद को अमल करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें सहयोग देना चाहिए।

इसलिए उपसभापध्यक्ष जी, उनकी मंशा अच्छी है। उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि कहीं-न-कहीं हमें गंभीर जरूर होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आप की जनसंख्या के बारे में जो नीति है, वह ऐसी नहीं है कि इसे नियंत्रित कर सके। यह केवल लोगों को समझाने की है, फिर कोई माने या न माने। आप की तरफ से कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आप ऐसी नीति बनाइए जिस का लोग अनुपालन करें और देश का कल्याण हो। उपसभापध्यक्ष जी, आप ने मुझे समय दिया, इस के लिए धन्यवाद।

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बोलने का आप ने मुझे अवसर प्रदान किया इस के लिए आप को बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, किसी देश के सफल होने के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ, सुशिक्षित और सबल होना जरूरी है। मान्यवर, मैं जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, उस का आकलन मैं सन् 1947 से करता हूं जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ। उस समय हमारे देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी और यह वह समय था जब कि देश के नागरिकों को पेटभर रोटी नहीं मिलती थी, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, सिंचाई के साधन नहीं थे और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। फिर उस के बाद मैं 1950-51 पर आता हूं जहां से हमें जनसंख्या का आंकलन मिलता है। ठीक उस के बाद हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है और आज देश की जनसंख्या 1 अरब 4 करोड़ हो चुकी है। लेकिन उस समय जो

विपन्नता थी, उस के अनुपात में आज हमारा देश अन्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया के चलते हम ने देखा है कि जहां पहले प्लेग और तमाम तरह की महामारी होती थी, आज उनसे देश को छुटकारा मिला है। लेकिन आज जनसंख्या की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है, यह स्व-प्रमाणित है। मान्यवर, हमारी पिछली सरकारों ने वर्ष 1952 से लगातार जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किया है, लेकिन अगर हम जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े देखें तो वह कांस्टेंट 2.5 प्रतिशत दिखाई देती है अर्थात् यथावत है। जनसंख्या रोकने के लिए अरबों रुपयों की दवाओं के प्रयोग हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए जितने कार्यक्रम चले उतनी ही बीमारी बढ़ती गई। उसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ, जो यह सिद्ध करता है कि हमारे यहां जनसंख्या अभिवृद्धि की बीमारी के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, वह सही ढंग से नहीं चलाए गए। हमने उन दिनों देखा है कि वर्ष 1977 के पहले मालूम ऐसा पड़ता था कि पूरे देश में जनसंख्या रोकने के लिए सभी लोगों को परिवार नियोजन का शिकार होना पड़ा और स्थिति ऐसी बनी जिसने भारवर्ष की पूरी सरकार को ही बदल दिया। उस समय के जो जनसंख्या अभिवृद्धि के आंकड़े हैं, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी उसमें आज कोई परिवर्तन नही हुआ है । सारे कार्यक्रम खोखले साबित हुए आज हमारी जनसंख्या लगभग एक अरब चार करोड़ होगी। जनसंख्या अभिवृद्धि के आंकड़ें यह साबित करते हैं कि अब तक जो भी अभियान चलाए गए, जो भी उनमें एजेन्सी या लोग लगे उन्होंने सही ढंग से कार्यक्रम नहीं चलाए। इसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सामने जनसंख्या अभिवृद्धि एक बड़ी समस्या है। आप आज अमरीका में देखिए, युरोप में देखिए, चीन में देखिए, वहां पर कानून जाति के हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं, किसी संप्रदाय के हिसाब से नहीं बल्कि सबके लिए एक कानून है। एक व्यक्ति चाहे वह वहां का निवासी हो या किसी दूसरे देश का निवासी हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, जो कानून उस देश के नागरिक के लिए है, जिस कानून से उस देश का निवासी प्रतिबंधित है, वही कानून दूसरे देश के उस देश में रहने वाले निवासियों पर भी लागू होता है। चाहे वह हिन्दुस्तान का हिन्दू हो या हिन्दुस्तान का मुसलमान हो या हिन्दुस्तान का सिख हो, जो अमेरिका में रहेगा उसे वहां के कानून , वहां के विधि-विधान का पालन करना होता है। यही स्थिति युरोप में है। चीन में तो यह कहते हैं कि वहां दो बच्चे से ज्यादा कोई पैदा ही नहीं कर सकता है। लेकिन, हमारे यहां एक अव्यवस्था है, विभिन्नता है, जिस पर हमें गौर करना होगा।

मान्यवर, किसी भी राष्ट्र में पूरे देश के नागरिकों के लिए एक कानून होता है, जाति के हिसाब से नहीं होता, धर्म के हिसाब से नहीं होता तो वह राष्ट्र अपना लक्ष्य पा सकता है। आज जो हमारे देश में व्यवस्था है, अगर यही व्यवस्था रही तो जनसंख्या पर कंट्रोल कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए हमें इस पर समीक्षा करनी चाहिए। विश्व के हिसाब से अगर हमें जनसंख्या अभिवृद्धि की बीमारी को रोकना है तो सबके लिए एक दवा होनी चाहिए जो जाति के हिसाब से न हो, धर्म के हिसाब से न हो। दवा तो किसी एक बीमारी के लिए एक ही होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों की तरह हमारे यहां भी सब के लिए एक कानून होना चाहिए।

मान्यवर, जनसंख्या अभिवृद्धि की बीमारी का इलाज केवल दवा से नहीं हो सकता

बल्कि गांव गांव में इसका समन्वित ढंग से प्रचार भी होना चाहिए, समाज में जागरुकता पैदा करना चाहिए। जहां तक परिवार नियोजन की बात है, हमने देखा हे कि अस्सी-अस्सी साल के लोगों की नसबंदी कर दी गई और कोटा पूरा कर लिया गया। ऐसी सरकारी नसबंदी रूपी दवाओं से काम नहीं चलेगा, सामाजिक चेतना भी जरूरी है। आज हम स्कूलों में देख रहे हैं, बच्चें- बच्चियों को नए नए ढंग से शिक्षा दी जा रही है, जिससे कहीं न कहीं विकृति पैदा हो रही है। इस ओर भी हमें देखना होगा। भारत सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, आज जो विज्ञापन आ रहे है, जो भद्दे-भद्दे विज्ञापन सिनेमा के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमारे ऋषि – मुनियों ने जो आदर्श समाज के सामने रखे थे, उनको परिलक्षित करते हुए पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहिए।

मान्यवर, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर हम उसके लिए सही ढंग से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कर सकेंगे तभी इस देश के नागरिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे। महोदय, अगर इस देश का नागरिक आत्मनिर्भर होता है, तभी हमारा देश भी आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब उस देश का नागरिक अपनी धरती के उत्पादन पर ही आधारित हो, उस पर ही मुनस्सर हो। किसी देश की धरती का उत्पादन केवल अन्न और गल्ला या दूसरी वस्तुओं से ही परिलक्षित नहीं होता, बल्कि किसी देश की परिसंपत्ति वहां के नागरिक भी होते हैं जिनके सार्वभौमिक विकास से ही उस देश की आत्मनिर्भरता संभव हो सकती है। इन सारी बातों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक राष्ट्र एक कानून के आधार पर सभी समाजों के लिए कोई कानून बने, तभी सही मायनों में हम सबके साथ न्याय कर सकते हैं और देश का सही निर्माण कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तरांचल)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के आंकड़े और उसके परिणाम, इस पर सभी लोगों ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। हम इस स्थिति को थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में समझें कि भारत गांवों का देश है और हमारे देश में 6 लाख गांव हैं और गांवों की जो व्यवस्था है, उसमें जाति, कुल, ये सारी बातें आती हैं। पहले गांवों में यह परंपरा और मान्यता थी कि "दूधो नहाओ और पूतो फलो" और यह मान्यता भी थी कि दूध पूत से किसी का मन नहीं भरता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कृष्ण अपने पिता का आठवां पुत्र था। कई और भी ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं।

महोदय, कुछ तो हमारे देश में सामाजिक भाव ऐसे रहे और फिर बाद में लोगों ने इसे धार्मिक भावों के साथ मिला दिया जिसके कारण सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयत्न हैं, 50 वर्षों में उन प्रयत्नों का जो परिणाम आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया है। गांवों में जनसंख्या बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि गांवों में जो परिवार थे, वे बढ़े, उनकी खेती कम हुई और जो खेती में काम करते थे, उनके लिए काम का अभाव हुआ क्योंकि जो खेतिहर कहलाते थे, वह स्वयं मजदूरों की श्रेणी में आ गए और परिणाम यह हुआ कि देश में बड़ी मात्रा में शहरों की ओर पलायन हुआ और इससे बेरोजगारी बढ़ी।इस समय हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो 1947 में दिल्ली की जनसंख्या ढाई और पौने तीन लाख के बीच में थी, आज वह एक करोड़ बीस लाख की दिल्ली हो गई है।

महोदय, वैसे तो जनसंख्या बढ़ने के अनेक कारण हैं लेकिन सामाजिक चेतना का अभाव और समाज में पुत्रों की कामना, इसका एक बड़ा कारण है। इसलिए जब तक सामाजिक स्तर पर यह चेतना पैदा नहीं होगी, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इससे गरीबी बढ़ रही है क्योंकि सरकार जो भी प्रयत्न करती है, सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, दूसरी योजनाएं बनाती है, शिक्षा के लिए योजनाएं बनाती है, उद्योग के लिए योजनाएं बनाती है, स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनाती है, लोगों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाती है, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती और उससे बेरोजगारी बढ़ती है।

महोदय, हर साल हम अपनी जनसंख्या में आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या जोड़ लेते हैं। इसलिए सरकार के जो भी प्रयास होते हैं, उनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। एक और चीज देखने में आई है जिसकी ओर शायद लोगों का ध्यान नहीं गया है। अभी पिछले दिनों हमने संविधान में संशोधन किया जिसमें व्यवस्था है कि 10 वर्ष में जनगणना होगी और उसके बाद चुनाव क्षेत्र बदले जाएंगे, उनका भी पुनरीक्षण होगा। लेकिन हमने व्यवस्था की क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या एक प्रकार से थम गई है,नियंत्रण में है और उत्तर भारत में तेजी से गतिशील है, तेजी से बढ़ रही है। परिणामस्वरुप पिछली बार कांग्रेस सरकारों में 25 वर्ष के लिए पुनरीक्षण का काम था वह बंद किया और हमने भी 2026 तक के लिए संविधान में संशोधन किया। यह भी एक पक्ष है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने भी प्रयास किये, उसमें कुछ मात्रा में सफलता भी मिली है। इसका दूसरा पक्ष भी है, यहां पर चीन की चर्चा आई। चीन ने पहले दो का बंधन कर दिया, फिर एक बच्चे का बंधन कर दिया। लेकिन अपने देश में भी किसी ने एक बार ऐसा साहसपूर्ण काम किया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के काल में ऐसा हुआ, उनके काल में जो हुआ उसमें विमति हो सकती है, बाकी जो कुछ हुआ उसमें विमति हो सकती है । लेकिन उन्होंने एक ठोस काम भी किया था कि लोग परिवार कल्याण के कार्यक्रम में तेजी से काम करें, अच्छा काम करें, परन्तु कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया होगा और उसी का परिणाम था कि उनको सरकार से भी जाना पड़ा। लेकिन उस समय एक साहसिक काम हुआ था और उसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार के कुछ वर्गों में जनसंख्या नियंत्रण की भावना बढ़ी है। इस देश के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि वह एक खतरनाक मैसेज भी है क्योंकि इस देश में सेना कुछ वर्गों से आती है। सेना देश की रक्षा करती है। यह सिख रेजीमेंट है, यह जाट रेजीमेंट है, यह गढ़वाल रेजीमेंट है, यह कुमाऊं रेजीमेंट है, लेकिन यह गुजरात की रेजीमेंट है या किसी राज्य की रेजीमेंट है, ऐसा नहीं है। कुछ हमारी व्यावसायिक जातियां हो सकती है, कुछ धन कमाती हैं, कुछ सुविधा भोगती हैं। एक जो मध्यम वर्ग है जो भावना प्रधान है, जिसका जीवन मरण से संबंध रहा है, उसका इतिहास से संबंध रहा है, चाहे महाभारत काल हो, चाहे आज का काल हो। हम यह देख रहे हैं कि उसमें और महिलाओं में, यहां पर अभी चर्चा हो रही थी कि महिलाओं पर बलात होता है, नहीं। उनकी महिलाओं में गर्भधारण की अरुचि पैदा होती जा रही है शिक्षा के बढ़ने के साथ और वहां पर बच्चे कम हो रहे हैं और तब मुझे जर्मन की याद आती है कि जर्मन आज बूढ़ों का देश हो गया है। एक बार मुझे एक शिशु मंदिर का निरीक्षण करना था और मैं वहां पर जा रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि साहब किसके लिए शिशु मंदिर चलाना है, बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। यह जो मध्यम वर्ग है, जो चेतनाशील है उसमें एक कठिनाई यह पैदा हो गई है, यह भी चिन्ता का विषय है। यह इम्बेलेंस क्यों हो रहा है, यह जो दोनों वर्गों में अंतर है, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वे और जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं वे, यह अंतर देश के लिए

चिंता का विषय है। यह जो चर्चा हो रही थी कि जनसंख्या बढ़ रही है वहां यह भी चिंता का विषय है कि जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा-लिखा वर्ग है उसमें बच्चे पैदा करने में अरुचि हो रही है। उनको एक बच्चा हो गया, संतुष्टि हो गई। मैं बडी-बडी कोठियों में जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपके कितने बच्चे है तो बताते हैं कि एक बच्चा है । बड़ी-बड़ी अधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं तो कहते हैं कि एक बच्चा है। इस विशाल देश की रक्षा, इस विशाल देश को बनाये रखना, इस विशाल देश के तंत्र को ठीक रखने के लिए विचार करना पड़ेगा और यह विचार करना पड़ेगा कि जो घटता है वह बराबर घटे, सबके घटे। हम इसके भी पक्षपाती नहीं है कि हम जर्मन की तरह बूढ़े देश हो जाएं। मुझे ईराक की याद आती है। जब ईराक का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष वहां पर आकर के सबसे सुंदर महिला से शादी करके हमारी जनसंख्या बढ़ाये। ऐसा एक बार अखबार में आया था। वह भी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यह स्थिति भी ठीक नहीं है कि हमारे यहां झुग्गी-झोंपड़ी बढ़ती जाएं। यह भी ठीक नहीं है कि कुछ लोग धर्म, मजहब की बात करके चार - चार बीवी करते हैं और 40 बच्चे, 64 बच्चे पैदा करते हैं। वहां पर कुछ नहीं है। इसलिए अगर इस पर विचार करना है तो सम्पूर्णता में विचार करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी सम्पूर्ण सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाये। सारे संसार में कुछ वर्गों द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बातें होती हैं। हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी जाना पड़ेगा। सरकार की वर्तमान नीति है कि केवल प्रचार के माध्यम से, लोगों को अनुकूल करके, और अनुकूल कौन हो रहे हैं जो खाते-पीते लोग हैं, जो सम्पन्न वर्ग के लोग हैं। ये वे लोग हैं जिनकी देश को बनाने में भागीदारी है, सारे देश के लोग इसे लायक हो,उनकी चेतना इस लायक हो कि दे सारे देश मे भागीदारीकरें, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मुझे स्मरण होता है जब-जब लोग मारे जाते हैं, मैं रोज अखबार उठाता हूं, कौन मारे गये – गढ़वाल का मारा गया, फलां मारा गया, एक वर्ग विशेष के लोग मारे जाते हैं।

उपसभापध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)ः आप विषय पर बोलिए, विषय से मत हटिए।

श्री मनोहर कान्त ध्यानीः सर, इस परिप्रेक्ष्य में भी हमको देखना पड़ेगा। यह उसका दूसरा पहलू है। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब हमने इसको बलात किया था तो उसे बलात करने का दुष्परिणाम कांग्रेस ने भोगा है, इंदिरा जी ने भोगा है इसलिए इसे बलात भी नहीं करना है लेकिन सामाजिक चेतना लानी होगी और सबको साथ लेकर चलना होगा। महोदय, रास्ता वहीं है जो चीन ने अपनाया है। चीन ने पहले दो बच्चे किए और बाद में एक बच्चा किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कहते रहिए, बड़ी-बड़ी बातें कहते रहिए, एक तरफ तो चालीस बच्चे पैदा करने वाले लोग होंगे और दूसरी तरफ एक बच्चा पैदा करने वाले लोग होंगे। आप न ही देश के साथ न्याय कर पाएंगे, न समाज के साथ न्याय कर पाएंगे और उनसे जिस व्यवस्था की आप कल्पना कर रहे हैं, न उसके साथ ही न्याय कर पाएंगे। महोदय, मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस करे और बहस के बाद एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक हिस्सेदार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ा-लिखा है, जो बाबू है, जो सरकारी नौकरी करता है, उसको तो बाधित कर दो और जो बैठा हुआ भीड़ बढ़ा रहा है, उस पर कोई नियंत्रण न हो। देश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून बनना चाहिए। यह इस देश की आवश्यकता है कि जनसंख्या घटे और अगर जनसंख्या नहीं घटती है तो कोई भी विकास के कार्य, सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम एक करोड़ लोगों

को एक साल में नौकरी देंगे, काम देंगे। दूसरी तरफ अगर हम ढाई करोड़ लोग बढ़ा देंगे तो मुझे समझ नहीं आता कि ढाई करोड़ ज्यादा हैं या करोड़ ज्यादा हैं, आगे जाकर कुछ परिणाम सामने नहीं आएगा। इसलिए महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि सरकार को और इस देश के सभी जाति धर्म और वर्गों को मिलकर आगे आना होगा। महोदय, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं जहां कुलों का भी महत्व है। पंचतंत्र कि कथा में एक प्रसंग हैः यस्मिन वंशे त्वमुत्पन्ना गजोतंत्र ने हन्यते। ...(**व्यवधान**)... मैं केवल एक मिनट में समाप्त करूंगा । एक शेरनी थी। उसको ए सियार का बच्चा मिल गया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)ः मिनिस्टर साहब प्राइवेट मैंबर्स बिल पर जितना समय देना चाहें दे दें। Mr. Minister, how much time do you want to give? *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI 0. RAJAGOPAL): Whatever is the allotted time *..(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Allotted time is two hours. *...(Interruptions)...*

श्री मूलचन्द्र मीणा(राजस्थान)ः शेरनी-शेरनी क्या कह रहे हैं?

श्री मनोहर कान्त ध्यानीः आप सुन तो लीजिए। हम तो आपको रोज सुनते हैं, एक दिन हमें भी सुन लें। हम तो कभी भी नहीं बोलते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : You should speak to the point. *...(Interruptions)...*

श्री मनोहर कान्त ध्यानीः सर, मैं इस कथा के बाद समाप्त कर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं उसी पर आ रहा हूं । समाज कुलों से ही बनता हैं। कुल से जाति बनी और जाति के बाद राष्ट्र बनता है। मैं बता रहा था कि उस शेरनी ने सोचा कि उस बच्चे को भी पाल लेती हूं। जब बच्चे बड़े हो गये तो कुछ दिन बाद वे शिकार को निकले । उधर से एक हाथी आ रहा था। जो शेर के बच्चे थे, वे हाथी पर झपटे और सियार का बच्चा भागकर अपनी मां के पास गया । जब मां ने पूछा कि क्या हुआ तों बोला कि कोई बड़ा जानवर आ गया है, वह उसको खा लेगा ।मां ने कहा कि यह तमहारा दोष नहीं हैं, तुम्हारे कुल का है। महोदय, यह भारत है। भारत में यह चीजें भी विचारणीय हैं। इसी के आधार पर जातियां बनी है, इसी के आधार पर ग्राम बने और इसी के आधार पर व्यवस्था बनी है इसलिए संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में इस व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सम्पूर्णता के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार करे और समय आ गया है कि देश में एक या दो बच्चों का कानून बनाया जाए ताकि इस देश कि तरक्की का रास्ता सुनिश्चित हो जाए। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात)ः धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पर ही बात करूंगा। माननीय शुक्ला जी जो इस बिल सदन में लेकर आए हैं, मैं उनको बहुत-बहुत

धन्यवाद देता हूं। यह सारे देश कि समस्या है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। किन्तु इस समस्या को हल करने का जो तरीका उन्होंने अपने बिल में बताया है , मैं मानता हूं कि वह सही नही है । उन्होंने जो तरीके बताए उसमें उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसायटी के मैंबर नहीं होंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये सारी पाबंदियां जो उन्होंने उन पर रखी है, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं हैं। उन्होंने जो रीज़न्स स्टेटमेंट और ऑब्जैक्ट्स में बताए हैं उन्होंने आरग्यूमेंट किया है........"Merely making people self-conscious about the need to have a small family has not produced the desired results of restricting the population growth. Hence, it has become imperative that a scheme of incentives and disincentives should be formulated..." "किसी को इनसेंटिव देकर पाबंदी लगाकर क्या हम रोकर पाएंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे बल्कि संवाद से कर पाएंगे। प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है,Approach Paper to the 10th Five Year Plan, 2000-07. इसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, "The percentage of population and poverty has continued to decline, if not as much as was targeted. The population growth has decreased below 2 per cent for the first time in four decades." 40 साल में पहली बार इस देश में दो परसेंट पॉपूलेशन कम हुई है।....(**व्यवधान**)... बिल्कुल कम हुई । मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कम हुई है। जो 52 प्रतिशत शिक्षा थी वह 40 साल में पहली बार 65 और 67 हुई है। जो दो परसेंट पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इसकी वजह से हुई है देश में शिक्षा की परसेंटेज बढ़ी है। आज हम केरल की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन की समस्या हैं। वहां पर कई स्कूल खाली पड़े हुए हैं और बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं आते हैं। वहां लोग कहते हैं कि यहां की पॉपुलेशन कम हो गई है। जिस हिसाब से हम संसद के लिए सांसदों का निर्धारण करते हैं, उस हिसाब से वे कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम हो गई है और संसद में हमारे सांसदों हैं की संख्या कम हो जाएगी, यह ठीक नहीं होगा । यह आवाज वहीं से उठी थी। जितना लोगों को लिए संवाद होगा पॉपुलेशन मूवमेंट करना पड़ेगा। आज हम यह कहें कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है तो यह बात ठीक नहीं है। आज रूरल डेवलेपमेंट के माध्यम से कई स्कीमें आई हैं। जैसे शुक्ला जी कहते हैं, ऐसा करदे तो गरीब लोगों की हालत क्या होगी उनकों स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में सदस्यता नहीं मिलेगी। ऐसा कड़ा कानून लाएंगे तो जो पढ़े-लिखे लोग है, जो बड़े लोग हैं जिनके धंधे और रोजगार अच्छे हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, ऐसा कानून लाकर हम उनको सजा दे रहे हैं। सख्ती वाले कानून से भी पॉपुलेशन कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी स्कीमें आज गरीब लोगों के लिए हैं और सारा भारत देहात में बसता है। अगर हम देहात कि पॉपुलेशन अलग करके देखेंगे तो 70 प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं और असली समस्या वहीं पर है। हम शहरों को देखकर कानून बनाने की सोच रहे हैं यह हमारी सोच ठीक नहीं है। हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए जिससे हम सब लोग आपस में बैठकर मूवमेंट करके, पब्लिक मूवमेंट करके, स्कूल और कॉलेज में चर्चा करें, टेलीवीजन पर चर्चा करें, सारे देश में चर्चा हो, ऐसा मेरा सुझाव है। यदि हम कहें कि हम इसमें सफल नहीं होंगे तो यह मानना भी जरूरी नहीं है। आज हमें 24 परसेंट सफलता मिली है, कल ज्यादा मिलेगी। हम रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, मेहनत करेंगे। यह देश मेहनती देश है। इसमें रहने वाले छोटे और गरीब लोगों को हम शिक्षित करें। पॉपुलेशन न बढ़े, इसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। कुछ न कुछ समस्या का समाधान करना होगा। समस्या का

समाधान तभी हो सकता है जब सब लोग एक साथ बैठकर समस्या का समाधान ढूंढें। चाहे वह कानून से किया जाए, संवाद से किया जाए तथा किसी और तरीके से किया जाए लेकिन करना जरूर चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत लोगों को, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वे रिसोर्सेज हम किसी माध्यम से उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से कुछ समाधान ढूंढिए। मैं मानता हूं कि राजीव जी ने सरकार का ध्यान एक अच्छी बात की तरफ खींचा है। यह समस्या पुरानी है। बहुत लोगों द्वारा डिबेट इस हाउस में और उस हाउस में हो गई है। यह बहुत साल से चल रहा है और गवर्नमेंट ने भी टेंथ फाइव इयर प्लान में पोपुलेशन के लिए तथा और लोगों के लिए पोपुलेशन पॉलिसी में बहुत रास्ते बताए है । उस रास्ते पर जब हमारा देश जाएगा तो मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन कम होगी। निराश होने की कोई वजह नहीं है। देश की विकराल समस्या को हल करने के लिए सब साथ बैठकर हल ढूंढें। राजीव शुक्ल जी ने अपने बिल में यह बात कही लेकिन यह कठोर बिल हम पास नहीं कर सकते इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि वे इसे वापस ले लें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री सी.पी. ठाकुर): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह प्रश्न देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले श्री राजीव शुक्ल जी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने इस प्रश्न को इस सदन में सबके सामने रखा है । इस पर तेरह माननीय सांसदों श्री रविशंकर जी, श्री एम.एन.दास, श्रीमती शबाना आजमी, श्रीमती सरोज दूबे, श्री विरुम्भी जी, श्री संघ प्रिय गौतम, श्री मनोहर कांत ध्यानी, श्री अनन्तराय देवशंकर दवे ने अपने विचार व्यक्त किए तथा सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि यह समस्या गंभीर है। चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है कि यह समस्या बहुत ही गंभीर है और सरकार इस पर बहुत चिंतित है। सरकार चाहती है कि इस समस्या का समाधान हो परंतु समाधान करने में दृष्टिकोण थोड़े-बहुत अलग-अलग हैं। इस दृष्टिकोण में दो ही पक्ष रखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को समझा-बुझाकर, उन्हें शिक्षित करके, सुविधा प्रदान करके यह किया जा सकता है। हमारे सामने दो तरीके हैं। एक उदाहरण तो चीन का है और दूसरा केरल का, अपने देश का उदाहरण है। चीन की व्यवस्था हमारी व्यवस्था से भिन्न है। वहां की सरकार कठोर कदम उठा सकती है। भारतवर्ष की सरकार ने जब कभी कठोर कदम उठाए हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है। जब एक परिणाम अच्छा नहीं रहा तो उसे झटका लगा और यह बहुत पीछे हो गया। इसके बाद से आप देखेंगे कि चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा पोपुलेशन पर चर्चा कम हो गई । राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका स्थान बहुत नीचे चला गया। लोग डर गए कि यदि कोई कठोर कदम उठाया जाएगा तो यह सरकार चली जाएगी। वह पार्टी, जो बहुत प्रबल पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी उसकी हार हो गई। उसके बाद से कोई आदमी या कोई पोलिटिकल पार्टी इस डर से इस समस्या को छूना नहीं चाहता। जब इस देश की जनसंख्या एक अरब हो गई तो माननीय प्रधानमंत्री ने देखा कि इस समस्या को तो हल करना ही पड़ेगा, तब उन्होंने एक पोपुलेशन कमीशन बना दिया जिसके वे स्वयं चेयरमैन है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह सरकार इसके प्रति बहुत चिंतित है । लोगों को कैसे भी शिक्षित करके या जो दूसरा मैथेड हमारे पास है, केरल वाला उसे लेकर हम चाहते हैं कि इसे नियंत्रित करें। नियंत्रित करने के लिए हम समझते हैं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। जैसा कि हमारे विरुम्भी जी कह रहे थे कि सभी चीजों में गिरावट आई है। दो परसेंट पोपुलेशन कम हुई, आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, मृत्यु दर में कमी हुई है, सारी चीजें कम हुई हैं तो सफलताएं मिल रही हैं। इस

कमीशन के बाद से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें तो बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि किसी आदमी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सफलता मिलेगी...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): मुझे एक निवेदन करना है। हमने केरल का यहां पर कई बार उल्लेख किया और हम लोग सुन रहे थे। लेकिन आगे जाकर समस्या होती है। हम स्टैंडिंग कमेटीज में इसको फेस कर रहे हैं। मैं तो वह आदमी हूं जिसने इस देश को 30-32 साल पहले नारा दिया – हम दो हमारे दो। मेरा ही स्लोगन है। मैंने ही नारा दिया था। लेकिन यहां एक समस्या दूसरी आ रही है कि जब तक हम जनसंख्या से विकास योजनाओं को बांधे रखेंगे, केंद्रीय सरकार का अनुदान जनसंख्या के आधार पर देते रहेंगे तब तक प्रदेशों की सरकारें अपने यहां जनसंख्या कम क्यों होने देंगी। आज केरल की सबसे बड़ी शिकायत यह चल रही है कि हमने अगर पापुलेशन को कंट्रोल कर लिया तो हमारा अनुदान कम होता चला जाएगा। क्या सरकार इस पक्ष पर कभी सोचेगी, विचार करेगी?

डा.सी.पी.ठाकुर: सरकार ने इस पर पूरा विचार किया है और अनुदान कम नहीं किया गया है। वह थोड़ा बहुत जो अभी फाइनेंस कमीशन ने किया उसी के लिए प्रतिक्रिया थी। लेकिन अनुदान कहीं कम नहीं किया गया है।

इसके बाद मैटरनल हेल्थ की तरफ ध्यान दिया गया है जैसे बच्चों की मृत्यु दर कैसे कम की जाए। लोगों को इतना विश्वास हो जाए कि बच्चे जो होंगे वे जिंदा रहेंगे वे मरें नहीं तो हम समझते हैं कि बच्चे होना कम होगा। सभी लोगों ने कहा कि शिक्षा मे बढोत्तरी होनी चाहीए। शिक्षा मे बढोत्तरी हुई है। अभी जो हम बिल लाने जा रहे हैं जिसमें कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित करने की बात है, अगर यह हो जाएगा तो इस तरफ जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों में सब लोग चाहते हैं कि पापुलेशन में कमी हो। इसमें कोई बहुत विभेद नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं जैसे इंडोनेशिया है वह भी यह काम कर रहा है। वहां जितने मौलवी लोग हैं वे लोग रजिस्टर रखते हैं। उस रजिस्टर में लिखकर सबको समझाते हैं कि बच्चे कम होने चाहिए। वहां हो रहा है।

अन्य बहुत सारी बातें उठायी गयीं। सरोज जी ने स्त्रियों के प्रति ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यह बात कही। उस पर भी जिक्र है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फीमेल फीटीसाइड जो है उसको रोकने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। औरतों को कैसे सुविधा मिले, इस पर भी विचार किया जा रहा है । हर जगह काम किया जा रहा है । विचार नहीं किया जा रहा है बाल्कि काम किया जा रहा है। इसमें दो मत नहीं हैं कि देश में दो तरह की प्रगति हो रही है । एक दक्षिण भारत में कम जनसंख्या बढ़ रही है और उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ रही है। आठ जो स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स को इस पावर एक्शन ग्रूप के तहत लिया गया है कि कैसे हम उनकी अनमैंट नीड्स को पूरा करें, कैसे लोगों में जागृति पैदा करें। उनको काम करने के लिए उत्प्रेरित करें। यह सारी प्रक्रिया शुरू है। मैं तो समझता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर जनसंख्या बढ़ने से भी देश कोई कमजोर नहीं हुआ है। देश बहुत प्रगति कर रहा है और आशा है यह देश प्रगति करेगा। इसमें दो मत नहीं हैं। मैं शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि इस बिल को वापस लेलें चूंकि सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं...(**व्यवधान**)... नहीं, मैडम, मैं इसका जवाब देता हूं

श्रीमती सरोज दूबे: हमने बताया कि 97 प्रतिशत महिलाओं के आपरेशन हो रहे हैं।

डा.सी.पी.ठाकुर: पूरी जो पालिसी है वह महिला केन्द्रित है। महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली है, उनको शिक्षित करने वाली है। उनको सुविधा देने वाली है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): श्री राजीव शुक्ल जी, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और चिंता व्यक्त की है बढ़ती हुई जनसंख्या पर उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या आप अपना बिल विदड्रा करना चाह रहे हैं?

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): मैं बस दो मिनट धन्यवाद देकर अपना बिल विदड्रा करता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सदस्यों को जिन्होंने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए इस बहस में भाग लिया – शबाना आजमी जी, एम एन दास जी, रवि शंकर प्रसाद जी, रामदास अग्रवाल जी, वंगा गीता जी, विरुम्भी जी, सरोज दूबे जी, संघ प्रिय गौतम जी, श्याम लाल जी, मनोहर कान्त ध्यान जी और रवि जी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है और निश्चित रूप से इसमें कुछ करेगी। प्रधान मंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने पापुलेशन कंट्रोल का कमीशन बनाया है – पापुलेशन कंट्रोल कमीशन। लेकिन उन्होंने कहा हम केरल के हिसाब से जाएंगे। मुझे इस पर आपत्ति है जैसे कि सरोज जी ने चीन की बात की थी कि 1962 में जो चीन की स्थिति थी वही स्थिति आज भारत की हो गयी है। मुझे लगता है जब रोग बढ़ जाए तो कड़वी दवा देनी पड़ती है और आज कड़वी दवा की जरुरत है और इसलिए डिस-इन्सेंटिव्स की बहुत जरुरत है आज कांग्रेसी सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया...(**व्यवधान**)... एम. एन. दास जी बोले हैं...(**व्यवधान**)... मैं आज की बात कर रहा हूं, पहले तो उन्होंने लिया था। मध्य प्रदेश सरकार का मैं स्वागत करता हूं...। सब से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने डिसइंसेंटिव्ज़ लागू किए और उसकी पूरी डिटेल मैंने मंगाई है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है उसको भारत सरकार को भी अपनाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस डिटेल को अगर मंगा लें जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने डिसइंसेंटिव्ज़ लागू किए हैं और उनको लागू किया जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। जैसे संघ प्रिय गौतम जी ने कहा कि यह एक राजनीतिक विषय बन गया है और वोट की चिंता में लोग इसको नहीं करते, क्योंकि इंदिरा जी ने भी 1975 या 1977 में ऐसा किया था और उसके बाद वह चुनाव हार गई थीं, तो सब को लगता है कि यह एक पोलिटिकल इश्यू हो जाएगा और इसी वजह से लोग इसको नहीं करते। अब उसको शिक्षा के जरिए हम करने जा रहे हैं। शिक्षा के जरिए अगर आप जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षा से तो पचास साल निकल जायेंगे और आबादी डेढ़ अरब हो जाएगी। मंत्री जी, अब एक तो हमें यह बताइये कि 1975 से 1977 अर्थात, 1979 के पहले देश की हर दीवार जो ऐसे नारों से रंगी रहती थी कि "हम दो, हमारे दो", "बस दो या तीन बच्चे, होते हैं घर में अच्छे", अब कैंपेन पर पैसा ज्यादा बढ़ गया, अब वे जो दीवारें हैं , बसों के पीछे जो बोर्ड हैं, वे सब सूने हैं। अब कहीं यह नजर नहीं आता, पता नहीं सारा कैंपेन कहां गया और धन कहां गया जिससे कि इतने जबर्दस्त प्रचार होता था? अगर डिसइंसेंटिव्ज़ नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम प्रचार तो होना चाहिए। जबकि मेरा मानना है कि प्राइमरी हेल्थ सैंटर्ज़ होने चाहिए, डिसइंसेंटिव्ज़ भी लाने चाहिए, नहीं तो बिना इसके कुछ नहीं होगा। पब्लिसिटी कैंपेन होना चाहिए तभी यह हो सकता है। वरना यह एक ऐसी जहरीली समस्या है जिसका निदान नहीं हो सकता।

अब क्योंकि सदन की राय भी है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि यह सब करेंगे, अतः मैं अपने इस बिल को वापस लेता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Has Shri Rajiv Shukla the leave of the House to withdraw the Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, हमको एक तकलीफ रह गई है, इतनी जल्दी अगर यह खत्म होना था, क्योंकि 2.40 पर यह शुरू हुआ था, तो हम अपनी बात और कह लेते। अब हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन अभी तो समय है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Now, we will take up the next Bill. Shri Amar Singh to move the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (to amend articles 58, 66, etc.); he is not here. Dr. L.M. Singhvi to move the Constitution (Amendment) Bill, 1998 (to amend the Eighth Schedule); he is not here. Shri Khagen Das to move the High Court of Tripura Bill, 2001; he is not here. Shri P. Prabhakar Reddy to move the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (to amend article 80); he is not here. Shri Sanjay Nirupam to move the Constitution (Amendment) Bill, 2000 (to amend article 80); he is also not here.

आपने जो बात उठाई थी, वह ठीक है रूल 24 के मुताबिक कम से कम ढाई घंटे चर्चा होती है। हमने 2.40 पर चर्चा प्रारंभ की थी और अभी वह 5.10 तक चल सकती थी, लेकिन चूंकि अब कोई भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए सदन की बैठक सोमवार दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at fifty eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 10th December, 2001.